

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

(जी-3 राजमहल रेजीडेन्सीयल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक.प.8(ग)(47)नियम/डीएलबी/2022/ 8084

दिनांक: 11/07/2024

आदेश

लियन परिवर्तन के सम्बंध में जारी विभागीय आदेश क्रमांक प.8(ग) (47) नियम / डीएलबी / 2022 / 15584-16078 दिनांक 29.07.2022 को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहारित किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सुरेश कुमार ओला)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक.प.8(ग)(47)नियम/डीएलबी/2022/ 8085-8,661

दिनांक: 11/07/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त/अधिशायी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
7. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
8. प्रोग्रामर आई.टी.सेल. निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
9. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Document certified by SURESH KUMAR
OLA <sureshola5788@gmail.com>

Digitally Signed by Suresh
Kumar OK
Designation: Director
Date: 10-07-2024 12:04:26
8423316